

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक/2535/एफ-02-06/रा.यो./2020/14-2 नवा रायपुर, दिनांक 29/05/2021

प्रति,

1. आयुक्त कृषि, छ.ग.।
2. समस्त संभागायुक्त, छ.ग.।
3. समस्त कलेक्टर, छ.ग.।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कृषि, छ.ग.।
5. उप संचालक कृषि, जिला समस्त छ.ग.।

विषय:- फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने कृषि आदान सहायता हेतु "राजीव गांधी किसान न्याय योजना" के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश।

-- 00 --

छ.ग. राज्य में लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमीय प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है, फलस्वरूप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते हैं। कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने कृषि आदान सहायता हेतु राज्य शासन द्वारा "राजीव गांधी किसान न्याय योजना" विभागीय पत्र क्र. 2544 दिनांक 15.05.2020 द्वारा लागू की गई है। उक्त जारी दिशा-निर्देश को अधिक्रमित करते हुए खरीफ वर्ष 2021 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किया जाता है:-

1. योजना का उद्देश्य:-

- (i) फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना।
- (ii) फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- (iii) फसल के कास्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषको के शुद्ध आय में वृद्धि करना।
- (iv) कृषको को कृषि में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन।
- (v) कृषि को लाभ के व्यवसाय के रूप में पुर्नस्थापित करते हुए जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि।

2. योजना का कार्यक्षेत्र :-

योजना प्रदेश के समस्त जिलों में खरीफ 2021 से लागू होगी।

3. क्रियान्वयन एजेंसी :-

राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक कृषि तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की देख-रेख में उप संचालक कृषि द्वारा योजना क्रियान्वित किया जायेगा।

4. हितग्राही की पात्रता:-

- (i) समस्त श्रेणी के भू-स्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
- (ii) संस्थागत भू-धारक कृषक इस योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
- (iii) रेगहा/बटाईदार/lessee कृषक योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
- (iv) संबंधित मौसम में भुंइया पोर्टल में संधारित गिरदावरी के आंकड़े तथा कृषक के आवेदन में अंकित फसल व रकबे, में से जो भी कम हो, उक्त फसल व रकबे को आदान सहायता राशि की गणना हेतु मान्य की जाएगी।
- (v) कृषकों को आदान सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अपंजीकृत कृषकों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी।
- (vi) योजनांतर्गत सम्मिलित फसलों पर ही आदान सहायता देय होगा।
- (vii) योजनांतर्गत पात्रता निर्धारण करते समय कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों का ध्यान रखा जाए।
- (viii) आवेदन पत्र में गलत जानकारी देकर सहायता राशि प्राप्त करने वाले कृषकों से भू-राजस्व संहिता के प्रचलित प्रावधान अनुसार राशि की वसूली की जाएगी।
- (ix) पंजीकृत कृषक की मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार के द्वारा परिवार के नामांकित व्यक्ति के नाम से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

5. आदान सहायता राशि:-

- (i) योजनांतर्गत खरीफ 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष राशि रु. 9,000 प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जाएगी।
- (ii) वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया था, यदि वह धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है, तो उसे प्रति एकड़ रु. 10,000/- आदान सहायता राशि दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषको को तीन वर्षों तक आदान सहायता राशि दी जाएगी।

6. कृषक का पंजीयन:-

- (i) योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक कृषकों को निर्धारित समयावधि में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल <https://rgkny.cg.nic.in> में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- (ii) योजनांतर्गत कृषक पंजीयन का कार्य दिनांक 01 जून से 30 सितम्बर तक किया जाएगा।

- (iii) कृषक को आवश्यक दस्तावेज जैसे ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ भरे हुए आवेदन (संलग्न प्रपत्र-I अनुसार) का सत्यापन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से कराना होगा।
- (iv) ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषक के आवेदन एवं अभिलेखों का प्रारंभिक परीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा।
- (v) कृषक को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के प्रारंभिक सत्यापन उपरांत आवश्यक अभिलेख के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्रपत्र संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमा करना होगा। कृषक आवेदन की पावती सहकारी समिति से प्राप्त कर सकेगा।
- (vi) संयुक्त खातेदार कृषकों का पंजीयन नंबरदार नाम से किया जाएगा। इस हेतु संबंधित कृषकों को आवेदन पत्र के साथ समस्त खाताधारकों की सहमति सह-शपथ पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। आदान सहायता राशि पंजीकृत कृषक (नम्बरदार) के खाते में अंतरित की जाएगी तथा आदान सहायता राशि का बटवारा आपसी सहमति से किया जाएगा।
- (vii) योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु कृषक को आवेदन के साथ आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। हितग्राही कृषकों से आधार नंबर उनकी सहमति से प्राप्त किया जाएगा। यदि किसी कृषक के पास आधार नंबर नहीं है, तो मैदानी अमलों के द्वारा ऐसे कृषकों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) में पंजीयन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राप्त आधार नंबरों की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।
- (viii) राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल में प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापन तथा सहकारी समिति द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी।
- (ix) कृषकों के बैंक विवरण में त्रुटि होने पर विभाग के मैदानी अमले द्वारा संबंधित कृषक से 15 दिवस के भीतर सही बैंक विवरण प्राप्त करते हुए अनुदान राशि अंतरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

7. योजनांतर्गत फसलवार रकबा संकलन एवं रकबा निर्धारण-

- (i) योजनांतर्गत सम्मिलित फसल के रकबा निर्धारण हेतु भुंइया पोर्टल में संधारित गिरदावरी के आंकड़ों को ही अधिकृत रूप से उपयोग किया जाएगा।
- (ii) योजनांतर्गत सम्मिलित सभी फसलों का कृषकवार, खसरावार, बोए गए फसल के क्षेत्राच्छादन की जानकारी राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी के माध्यम से की जाएगी।
- (iii) गिरदावरी के आंकड़ों में त्रुटि/भिन्नता होने पर प्रचलित निर्देश एवं प्रक्रिया के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- (iv) राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबा एवं किसान द्वारा बोए गए वास्तविक रकबा में भिन्नता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी तथा पर्यवेक्षण करने वाले अमलों की जवाबदेही तय कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।



- (v) योजनांतर्गत कृषकों के फसलवार सर्वेक्षण एवं पंजीयन के लिए राजस्व विभाग द्वारा कृषकों के भू-अभिलेख का शुद्धिकरण, अपडेशन एवं आधार से लिंक करने की कार्यवाही की जाएगी।
8. **आदान सहायता राशि के भुगतान की प्रक्रिया:**— योजना के पोर्टल में पंजीकृत कृषकों को नोडल बैंक के माध्यम से किशतों में आदान सहायता राशि सीधे बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की जाएगी।
9. **राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति:**— योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी, अंतर्विभागीय समन्वय हेतु मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों के साथ राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन जाएगा:—

(i)	मुख्य सचिव, छ.ग. शासन	— अध्यक्ष
(ii)	कृषि उत्पादन आयुक्त	— सदस्य
(iii)	सचिव वित्त विभाग	— सदस्य
(iv)	सचिव खाद्य विभाग	— सदस्य
(v)	सचिव सहकारिता विभाग	— सदस्य
(vi)	सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	— सदस्य
(vii)	संचालक, संस्थागत वित्त	— सदस्य
(viii)	राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी	— सदस्य
(ix)	संचालक कृषि	— सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय समिति के दायित्व :—

- (i) कार्ययोजना तैयार कर समय-समय पर निर्देश प्रसारित करना।
- (ii) योजना का प्रभावी क्रियान्वयन, अंतर्विभागीय समन्वय एवं निगरानी करना।
- (iii) कृषकों के पंजीयन के पूर्व भू-अभिलेखों का शुद्धिकरण, अपडेशन एवं आधार से लिंक कराने की कार्यवाही की समीक्षा करना।
- (iv) योजना क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर कराना।
10. **जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति:**—जिला स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन एवं निगरानी व शिकायतों के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी एवं शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाता है। समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :—

(i)	जिला कलेक्टर	— अध्यक्ष
(ii)	प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख शाखा	— सदस्य
(iii)	उप पंजीयक सहकारिता	— सदस्य
(iv)	जिला खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक	— सदस्य
(v)	लीड बैंक अधिकारी	— सदस्य
(vi)	मु.का.अ./नोडल अधि. जिला सह. केन्द्रीय बैंक	— सदस्य
(vii)	जिला सूचना अधिकारी (NIC)	— सदस्य
(viii)	उप संचालक कृषि	— सदस्य सचिव

Handwritten signature

समिति के कार्य :-

- (i) योजना के दिशा-निर्देश अनुसार विभिन्न गतिविधियों को संपादित करना।
- (ii) योजना क्रियान्वयन की समीक्षा एवं निगरानी करना।
- (iii) योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना एवं ग्राम सभाओं का आयोजन कराना।
- (iv) कृषकों को निर्धारित समय-सीमा में आदान सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित करना।
- (v) कृषकों के पंजीयन के पूर्व भू-अभिलेखों का शुद्धीकरण, अपडेशन एवं आधार से लिंक कराने की कार्यवाही।
- (vi) कृषकों के पंजीयन हेतु अन्य विभागों की सेवाओं का उपयोग।
- (vii) हितग्राहियों की जानकारी एकत्र कराकर पोर्टल में प्रविष्ट कराना।
- (viii) क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना तथा कृषकों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण करना।

11. **हितग्राहियों का सत्यापन :-** विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत यादृच्छिक आधार पर हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन निम्नानुसार किया जाएगा:-

सत्यापनकर्ता अधिकारी का पदनाम	सत्यापन का%
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	5%
कृषि विकास अधिकारी	2%
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	0.5%
अनुभागीय कृषि अधिकारी	0.25%
उप संचालक कृषि	0.10%

भौतिक सत्यापन का रिपोर्ट उप संचालक कृषि द्वारा जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

12. **प्रशासनिक व्यय:-**पोर्टल के विकास, कृषकों के पंजीयन, डाटा एन्ट्री, प्रपत्रों की छपाई, प्रचार-प्रसार, बैंक कमीशन, अधोसंरचना विकास आदि कार्यों हेतु कुल बजट का 0.05% राशि प्रशासनिक मद हेतु प्रावधानित होगी।

13. **वित्तीय व्यवस्था एवं लेखा शीर्ष:-**

योजनान्तर्गत विभाग द्वारा संचालक कृषि को राशि आबंटित की जाएगी। पंजीकृत कृषकों के डेटाबेस के आधार पर आयुक्त/संचालक कृषि द्वारा नोडल बैंक के सहयोग से सीधे कृषकों के खाते में आदान सहायता राशि अन्तरित करने की कार्यवाही की जाएगी। योजनांतर्गत होने वाला व्यय निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा -

- (i) मांग संख्या 13 - सामान्य कृषि आयोजना
- 2401 - कृषि कार्य
- 102 - खाद्यानों की फसलें
- 0101 - राज्य आयोजना (सामान्य)
- 6438 - राजीव गांधी किसान न्याय योजना
- 14 - सहायक अनुदान
- 012 - अन्य अनुदान



(ii) मांग संख्या 41	—	अनुसूचित जनजाति उपयोजना
2401	—	कृषि कार्य
102	—	खाद्यानों की फसलें
0102	—	अनुसूचित जनजाति उपयोजना
6438	—	राजीव गांधी किसान न्याय योजना
14	—	सहायक अनुदान
012	—	अन्य अनुदान
(iii) मांग संख्या 64	—	अनुसूचित जाति उपयोजना
2401	—	कृषि कार्य
102	—	खाद्यानों की फसलें
0103	—	अनुसूचित जाति उपयोजना
6438	—	राजीव गांधी किसान न्याय योजना
14	—	सहायक अनुदान
012	—	अन्य अनुदान

योजना के दिशा-निर्देश छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(के.सी.पैकरी)
29/5/2021

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पृष्ठां. क्र. ²⁵³⁶ / एफ-02-06 / रा.यो. / 2020 / 14-2 नवा रायपुर, दिनांक 29/05/2021
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, जलसंसाधन, आयाकट, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग.शासन।
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छ.ग. शासन।
4. स्टॉफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छ.ग. शासन।
5. सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/खाद्य/वित्त/सहकारिता/जनसंपर्क विभाग।
6. महालेखाकार, छ.ग.रायपुर।
7. आयुक्त कृषि छ.ग., विकास भवन, अटल नगर नवा रायपुर।
8. पंजीयक सहकारी संस्थाए, छ.ग. इंद्रावती भवन, नवा रायपुर।

9. संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. इंद्रावती भवन, नवा रायपुर।
10. संचालक, भू-अभिलेख, रायपुर।
11. संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, छ.ग. नवा रायपुर।
12. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमि. रायपुर।
13. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड), नवा रायपुर।
14. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या. (अपेक्स) नवा रायपुर।
15. राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी, मंत्रालय, नया रायपुर।


29/05/2021
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

